मानननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निoप्रoक्रo निगरानी 1686-I-15

श्री एड. के. ... द्वारा आज दि. 25/6/15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. घासीराम तनय मनुवा कुशवाहा

2. हरभजन तनय मनुवां कुशवाहा

3. हज्जू तनय तिजू कुशवाहा समस्त निवासी ग्राम मबौरा तह. पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ

..निगरानीकारगण

बनाम

1. रामदास तनय किशोरी कुशवाहा

2. पूरा तनय चर्चा कुशवाहा समस्त नि. ग्राम मबौरा तह. पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ म.प्र.

..प्रतिनिगरानीकार

निगरानी प्रस्तुत न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढके राoप्रoक्रo270/निग0/2010-11 मे पारित आदेश दिनांक 25/03/2015 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0सं01959

महोदय,

निगरानीकार की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यहकि निगरानीकार का शिजरा खानदान निम्न प्रकार है:

तिजू कुशवाहा

कामता (मृत) (पुत्र)	मनुवां (मृत) (पुत्र)	चन्द्रा (मृत) (पुत्र)	हज्जू (मौजूद) (पुत्र)

मलिदा पत्नि कामता (निःसंतान)

2. यहकि माननीय राजस्व मण्डल मे पूरा के द्वारा निगरानीकार के रूप मे पक्षकार बनने की सहमति न देने से कानूनी दृष्टि से उसे फार्मल पक्षकार के रूप मे प्रतिनिगरानीकार क्र.2 पर पक्षकार बनाया गया है।

3. यहकि शिजरा मुताबिक कामता की मृत्यु होने पर उनकी पत्नि श्रीमति मलीदा के द्वारा कोईभी बसीयत प्रतिनिगरानीकार क्र.1 ने फर्जी बसीयत बनवाई और उक्त आधारो पर अपना नामांतरण बाला बाला तरीके से नायब तहसीलदार के यहां करा लिया ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1680-एक/2015 जिला टीकमगढ़ घासीराम विरूद्ध रामदास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 270/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 25-03-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-06-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

31.12.18

किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.12.18
सदस्य